भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4763

सोमवार, 22 जुलाई, 2019 / 31 आषाढ़ 1941 (शक)

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

4763. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का कार्यान्वयन किया है तथा इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिस उद्देश्य से उक्त योजना को शुरू किया गया था तथा स्वीकृत/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के आरंभ से जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उन बीमित लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत शुरू में कितने लोगों को शामिल किया गया है तथा इसके अंतर्गत कितने अंशदाताओं को शामिल किया गया है तथा अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की कार्य दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कारखाना बंद होने से भिन्न बीमित व्यक्ति के बेरोजगार होने की स्थिति में उसे कुछ राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक एक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत पूर्ववर्ती चार अंशदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत कमाई (चार अंशदान अवधि के दौरान कुल कमाई/730 दिवस) के 25% तक राहत बेराजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक बीमित व्यक्ति के जीवन काल में एक बार एक एफिडेविट के रूप में दावा प्रस्तुत करने पर अदा की जानी है।

(ख) से (घ): यह योजना आंरभ में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर 01.07.2018 से प्रभावी बनाई गई है। यह योजना अरूणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप को छोड़ कर जंहा ईएसआई योजना कार्यान्वित की जाती है उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है। वर्ष 2018-19 के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जून, 2019 तक 28 मामलों में कुल 2,05,558 रूपये की धनराशि का भुगतान किया गया है।

(ड.): भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र, पत्तन क्षेत्र और खनन क्षेत्र में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी मुद्दों का ध्यान रखने के लिए क्रमश: कारखाना अधिनियम, 1948, गोदी कामगार (सुरक्षा,स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 और खान अधिनियम, 1952 के रूप में व्यापक विधान अधिनियमित किया है।

इसके अलावा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, श्रमिक संघ अधिनियम, 1926, बागान श्रम अधिनियम, 1951, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम,1976 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ कामगारों को बेहतर कामकाजी दशाएं प्रदान करना है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम की अपेक्षा है कि असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ; से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जाएं। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें समान हिस्सेदारी में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों का ध्यान आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से रखा जाता है। न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का सूत्रपात किया है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह स्कीम 50:50 पर आधारित है जिसमें 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा तथा समरूप अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा देय है। इसी प्रकार, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना का अनुमोदन किया है, जो इसी तर्ज पर दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना है।

*****